राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/पे–मैनेजर–L/11080-120 दिनांक 20/2/2020

कोषाधिकारी
समस्त।

विषयः– वेतन बिलों में 17% मंहगाई भत्ते के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आई.एफ.एम.एस. पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन बिलों के लिए मंहगाई भत्ता 12% से बढ़ाकर 17% करने के लिए प्रावधान किया गया है। राज्य कर्मचारियों के संबंध में अभी तक मंहगाई भत्ते में वृद्वि के कोई आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी नहीं किए गए है। सिस्टम में तकनीकी त्रुटि से कुछ समय के लिए उक्त प्रभाव संवेतन बिल प्रक्रिया में पे–मैनेजर/पीआरआई पे–मैनेजर पर परिलक्षित होने के प्रकरण इस विभाग कां प्राप्त हुए है, जिसके लिए एन.आई.सी. को निर्देशित कर दिया गया है।

अतः किसी भी आहरण वितरण अधिकारी द्वारा यदि मंहगाई भत्ता 17% करके राज्य कर्मचारियों का वेतन बिल कोषालय को प्रेषित किया जाता है तो उसे पारित नहीं कर रिवर्ट (Revert) किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

(अमिता शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (IFMS)

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/पे–मैनेजर–L/ दिनांक
प्रतिलिपिः वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., वित्त भवन, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त निदेशक (IFMS)

www.rajteachers.com

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in
Fax - 2742309, Tel- 0141-2743752